राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 157/2024

डॉ0 दिनेश मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय, महुआ, जिला दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को पीएमओ जिला चिकित्सालय, महुआ, दौसा के पद से स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि के दौरान पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा इस आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 को इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है। सिलिकोसिस बीमारी के सत्यापन के संबंध में, कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर सीएमएचओ दौसा ने एक जांच की और उक्त जांच में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सिलिकोसिस रोग के सत्यापन के संबंध में अपने कर्तव्यों के पालन में कोई अनियमितता या लापरवाही नहीं की गई है। दिनांक 26.06.2023 की जांच रिपोर्ट अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को पूर्व में इसी आधार पर आदेश दिनांक 25.08.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा सीसीए नियमों के नियम 13 के तहत निलम्बित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2231/2023 दायर की एवं राज्य सरकार के जवाब के उपरांत दोनों पक्षों को सुनकर अपील में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023

(अनुलग्लक–4) द्वारा अपीलार्थी का निलंबन अपास्त किया गया। माननीय अधिकरण द्वारा निर्णय पारित करने के बाद अपीलार्थी ने दिनांक 23.09.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा पीएमओ के पद पर जिला अस्पताल, महुआ, दौसा में कार्यग्रहण किया। राज्य के अन्य चिकित्सा संस्थानों में जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई, परन्तु जांच कमेटी की रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम गलती से शामिल हो गया एवं बिना किसी आधार के अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी को भी आलोच्य आदेश द्वारा एपीओ कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में भी पुलिस ने एफ.आर प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार द्वारा गठित नवीन कमेटी की रिपोर्ट (अनुलग्नक–6) में सिलिकोसिस प्रमाणीकरण व्यवस्था की समीक्षा करने एवं समुचित चैक पोइन्टस लगाने का सुझाव दिया है। ताकि अनियमितताओं से बचा जा सके। इस जांच रिपोर्ट से भी अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। एक सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, लेकिन बिना किसी आधार के अन्य चिकित्सको के साथ अपीलार्थी को भी एपीओ कर दिया है। आदेश दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा एपीओ/स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। अपीलार्थी को पहले निलंबन और अब उसी आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में करके अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है। जिसकी कानून में अनुमति नहीं है। स्थानान्तरणा सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु उसे दण्डात्मक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11114/2016 हेमेन्द्र कुमार त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.02.2027 (अनुलग्नक–8) द्वारा तय किए गए सिद्वांत के अनुसार स्थानान्तरण दंडात्मक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। आलोच्य आदेश आरएसआर के नियम 25ए के प्रावधानों को उल्लघंन में है। नियम 25ए के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकृति के प्रकरणों में ही एपीओ किया जा सकता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को नियमित रूप से पीएमओ, जिला अस्पताल महुआ, दौसा में कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, एवं पत्रावली पर जांच कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2023 एवं निदेशालय विशेष योग्यजन का दिनांक 08.012024 का पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील आलौच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी सहित 9 चिकित्सकों को दौसा जिले में सिलिकोसिस के रोगियों को अनियमित भुगतान किए जाने के संबंध में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा गठित चेस्ट रेडियोग्राफ कमेटी एवं जिला कलक्टर, दौसा के द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

में रोगियों को गलत प्रमाणीकरण करने और और गलत प्रामीणकरण किए जाने के कारण ऐसें रोगियों को सिलिकोसिस नीति के अनुसार भुगतान होने से राज्य सरकार को वित्तीय हानि होने का तथ्य पाये जाने के आधार पर प्रशासनिक कारण एवं लोकहित में अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 3 पर अंकित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का प्रकरण अन्य एपीओ किए गये चिकित्सको से भिन्न है। अपीलार्थी के संबंध में पूर्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा गठित जांच समिति और राज्य सरकार के स्तर पर जांच कमेटी द्वारा प्रकरण पर जांच की जा चुकी है। अपीलार्थी जिला अस्पताल, महुआ जिला दौसा में पदस्थापित है। पूर्व में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 25.08.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अनियमितता के प्रकरण में सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के तहत निलम्बित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील (संख्या 2231/2023) दायर की गई, जिसमें माननीय अधिकरण ने दायर अपील में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 20.09.2023 द्वारा अपीलार्थी के निलम्बन आदेश को अपास्त किया गया है (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः उसी आधार पर अपीलार्थी को आलौच्य आदेश द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। एक ही कारण एवं आधार पर बार–बार कार्यवाही करना नियमानुसार नहीं है। वर्तमान में नवीन गठित कमेटी द्वारा की गई जांच जिला चिकित्सालय दौसा में सिलिकोसिस प्रमाणीकरण के संबंध में है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उनके द्वारा District pneumoconiosis Board दौसा द्वारा राज. सिलिकोसिस पोर्टल पर अपलोड किये गये चेस्ट रेडियोग्राफस जिनमें सिलिकोसिस प्रमाणित हुआ है, को रिव्यू किया जाकर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस जांच में बडी संख्या में सिलिकोसिस के गलत प्रमाणीकरण के प्रकरण पाये गये है एवं बतौर District pneumoconiosis Board के संदर्भ के रूप में अन्य चिकित्सकों के साथ अपीलार्थी को भी जिम्मेदार माना है एवं इसी रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त निशक्त जन द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित पत्र में अपीलार्थी का नाम सूची में शामिल कियाा गया है। इस आधार पर अपीलार्थी को आलोच्य आदेश द्वार एपीओ किया गया है।

अपीलार्थी की तरफ से निवेदन किया गया है कि जांच जिला अस्पताल दौसा के संबंध में है। जहां अपीलार्थी कभी भी पदस्थापित नहीं रहा है। जांच में उसका नाम गलती से अंकित होने से अपीलार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर एपीओ किया गया है। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि कर्मचारियों को कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है, परन्तु गलत तथ्यों के आधार पर पदस्थापन/एपीओ रखा जाना नियम विरूद्ध है। इससे राजसेवक की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। एक ही प्रकरण में बार–बार कार्यवाही करना भी नियम संगत नहीं है। अपीलार्थी को पहले आदेश दिनांक 25.08.2023 द्वारा उसी आधार पर निलंबित

किया गया एवं अब आलोच्य आदेश से एपीओ किया गया है। जबकि अभी तक अपीलार्थी के विरूद्ध अभी तक कोई विभागीय कार्यवाही लंबित या प्रस्तावित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी जिला चिकित्सालय महुवा दौसा में पदस्थापित है। पूर्व में सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अनियमितता प्रकरण में उसे अन्य दो राजसेवकों, जो महुवा चिकित्सालय में ही पदस्थापित है, को आदेश दिनांक 25.08.2023 द्वारा निलंबित किया गया है। अब पुनः उसी आधार पर आलोच्य आदेश द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो हमारे मत में उचित नहीं है। एक ही कारण/आधार पर बार–बार कार्यवाही नहीं की जा सकती। राज्य से सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2022 से ऑनलाईन है एवं इस हेतु Raj Silicosis पोर्टल क्रियाशील है। अपीलार्थी के निलंबन के संबंध में अधिकरण में दायर अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पोर्टल की प्रक्रिया संबंध में अधिकरण को अवगत कराया गया था एवं अधिकरण द्वारा उपलब्ध तथ्यों/दस्तावेजात के दृष्टिगत तत्समय निलंबन आदेश अपास्त किया गया था।

अतः हमारे मत में अपीलार्थी का प्रकरण आलोच्य आदेश द्वारा एपीओ किए गये अन्य राज सेवकों से भिन्न होने एवं एक ही कारण/आधार पर पुनः कार्यवाही करने के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, न्यायोचित नहीं है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 को अपीलार्थी के हद तक अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं पदस्थापित रखा जावे जहां आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व पदस्थापित था। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को नियमानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के लिए स्वतंत्र होगा, उसमें यह आदेश बाधक नहीं होगा। उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य